

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप (फलोदी)
नसीब पुत्र रोशन बनाम समसादअली पुत्र रमजानअली वगैरा
किरम मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 243/1989 सन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम भाखरिया पटवार इल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नंबर 1316 रकबा 130470 है 0 मूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी में मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 16/10/89 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

10/10/89
पत्रावली पेश हुई। बकील जर्जी उपा. वकील जर्जी के अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अने शर्त नोटिस जारी किया गया। पत्रावली कर्ते इतना तलबी दिनांक 15/10/89 को पेश है।

10/10/89
बकील जर्जी के मिशन तलबी के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली तलबी के तहत प्राप्त पेटा हुई। बकील जर्जी के प्रार्थना-पत्र वादते बिडे करने-बाबत पेटा कट निवेदन बिडे कि से उक्त प्रार्थना-पत्र के अने-जलाम नही चाहते। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र जारी बिडे खारिज फटमाया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र जारी बिडे खारिज किया गया है। पत्रावली के तहत शर्त है। तलबी के कट के। जारी किया है।

(मंजूर, 28)

पेशकर्ता